

प्रथम पत्र
अंचल अधिकारी का कार्यालय, कुचाई

अनुसूची 10 - फार्म सं0 562

आदेश - फलक
(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक / ता0..... से तक

जिला-सरायकेला-खरसावाँ विविध वाद सं0- 08 सन्-2025-26

केस का प्रकार - विधि वाद के तहत ऑनलाईन पंजी -2 में प्लॉट एवं अन्य सुधार।

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1 10/2/25 20/2/25	आवेदक <u>श्री. रमण प्रसाद</u> पिता <u>श्री. राम प्रसाद</u> जिला-सरायकेला-खरसावाँ के द्वारा आवेदन ऑनलाईन पंजी-2 पर प्लॉट प्रविष्ट करने हेतु दिया गया है। जिसकी मौजा <u>श्री. राम प्रसाद</u> थाना सं0 <u>20</u> खाता सं0 <u>28</u> प्लॉट सं0 <u>307</u> रकबा <u>0.38</u> वर्ग है। जिसमें <u>श्री. राम प्रसाद</u> <u>श्री. राम प्रसाद</u> की प्रविष्ट झारभूमि पोर्टल पर ऑनलाईन गलत दर्ज है जब की उक्त खाता सं0 <u>28</u> ऑनलाईन पंजी-2 के पेज नं0- <u>28</u> वोल्युम नं0 <u>2</u> पर दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से ऑनलाईन वसुधा में अपने लॉगीन से अग्रसारित करते जाँच प्रतिवेदन मांगे। दिनांक <u>03/4/25</u> को अभिलेख उपस्थापित करें। लेखापित अंचल अधिकारी कुचाई। <u>10/02/25</u> अंचल अधिकारी कुचाई। <u>10/02/25</u>	3
02/4/25	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा <u>श्री. राम प्रसाद</u> का ऑनलाईन सुधार कर अपने लॉगीन से अग्रसारित किया गया। अद्योहस्ताक्षरी के लॉगीन से <u>श्री. राम प्रसाद</u> का सुधार कर दिया गया है। अभिलेख की कारवाई बंद की जाती है। लेखापित अंचल अधिकारी कुचाई। <u>03/04/25</u> अंचल अधिकारी कुचाई। <u>03/04/25</u>	